"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 457] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2017 — कार्तिक 3, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

सं. /2017- राज्य कर

क्रमांक एफ-10-84/2017/वाक/पांच(151) – छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 54 और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के लिए शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करता है–

(i) ऐसे मामलो में, जहां अपवंचित कर की रकम दो सौ पचास लाख रुपए से अधिक है, तथा जिन्हें छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) या किसी प्रवृत्त विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है, उन व्यक्तियों के सिवाय, ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के पात्र होंगे;

(ii) किसी वित्तीय वर्ष के लिए, परिवचन पत्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर, दो प्रतियों में, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 के उपाबंध में दिया जाएगा और यह कार्यरत भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे कार्यरत भागीदार या ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या स्वत्वधारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा;

(iii) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) के खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित अवधि के भीतर, उक्त उपनियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट ब्याज सहित देय कर का संदाय करने में असफल रहता है तो परिवचन पत्र विधिमान्य नहीं रहेगा और यह ऐसे कर और ब्याज का संदाय के पश्चात् फिर से विधिमान्य होगा ।

2. इस अधिसूचना के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों, सहित किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई भी है) द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना किए गए माल या सेवाओं या दोनों के जीरो रेटेड प्रदाय के संबंध में लागू होंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-84/2017/वाक/पांच(151). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-84/2017/वाक/पांच (151), दिनांक 16.10.2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 16th October 2017

NOTIFICATION
No. /2017-State Tax

No. F-10-84 /2017/CT/V (151) - In exercise of the powers conferred by section 54 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, and sub-rule (5) of rule 96A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, State Government, hereby specifies conditions and safeguards for furnishing a Letter of Under taking in place of a Bond by a registered person who intends to supply goods or services for export without payment of integrated tax -

(i) all registered persons who intend to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall be eligible to furnish a Letter of Undertaking in place of a bond except thosewho have been prosecuted for any offence under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) or any of the existing laws in force in a case where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees;

(ii) the Letter of Undertaking shall be furnished on the letterhead of the registered person, in duplicate, for a financial year in theannexure to FORM GST RFD – 11 referred to in sub-rule (1) of rule 96A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 and it shall be executed by the working partner, theManaging Director or the Company Secretary or the proprietor or by a person duly authorisedby such working partner or Board of Directors of such company or proprietor;

(iii) the Letter of Undertaking shall cease to be valid if the registered person fails to pay the tax due along with interest, as specified under sub-rule (1) of rule 96A of Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, within the period mentioned in clause (a) and clause (b) of the said sub-rule and it shall resume being valid after such tax and interest is paid.

2. The provisions of this notification shall mutatis mutandis apply in respect of zero-rated supply of goods or services or both made by a registered person (including a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit) to a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit without payment of integrated tax.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.